प्राक्कथन

मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों का चयन 2009-10 के दौरान की गई नमूना जांच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल न किए गए निष्कर्षों में से किया गया है।